निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 27 / 2024
दायरा दिनांकः—08.07.2024
निर्णय दिनांकः— 29.1.25

उनवान

1. रामनारायण आयु 64 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति चमार निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अमृतलाल लोधा— प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 43 की खसरा संख्या 122 की रकबा 1.5682 है०, भूमि वाके माल नवाबपुरा तहसील छबडा जिला बारा (राज०) में स्थित है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता का फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से इन्तकाल मे प्रार्थी का नाम रामनारायण के स्थान पर घर मे बोलता नाम रामा दर्ज हो गया था जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामनारायण है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर रामा के स्थान पर रामनारायण किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। ग्राम नवाबपुरा मे खाता संख्या 42 खसरा नम्बर 121, 219, हिस्सा 2/3 रकबा 0.5944 हैक्टयर में प्रार्थी की पत्नि के नाम दर्ज जमाबंदी में बादामबाई पत्नि रामनारायण दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चला आ रहा है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थी का नाम रामनारायण दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत रामा दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहता है परन्तु जो प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल तहसीलदार प्रमाण पत्र नकल खसरा गिरदावरी ग्राम नवाबपुरा सम्वत् 2075–78 नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 43 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नवाबपुरा पहचान पत्र रामनारायण, आधार कार्ड रामनारायण,आधार कार्ड बादाम बाई पेत्र कार्ड रामनारायण नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 42 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के पिता का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से नामान्तरण में प्रार्थी का नाम रामनारायण के स्थान पर घर का बोलता नाम रामा दर्ज हो गया था जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामनारायण है जिसे दुरूस्त किया जाकर रामा के स्थान पर रामनारायण दर्ज किया जावें। ग्राम नवाबपुरा के खाता संख्या 42 में हिस्सा 2/3 प्रार्थी की पत्नि के नाम दर्ज है जिसमें बादाम बाई पत्नि रामनारायण दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी की पत्नि के खाते मे प्रार्थी का नाम रामनारायण सही दर्ज है परन्तु प्रार्थी के खाते की भूमि में प्रार्थी का नाम गलत दज्र हो गया है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामनारायण दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रामा दर्ज कर दिया है गलत नाम दर्ज होने से राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ व फसल मुआवजा से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 43 में रामा पुत्र पन्ना हिस्सा 1/7 जाति चमार सा0देह दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 42 में बादाम बाई पत्नि रामरानायण हिस्सा 2/3 जाति चमार सा0देह धीगाराडी दर्ज है पहचान पत्र आधार कार्ड पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम रामनारायण दर्ज है प्रार्थी की पत्नि बादाम बाई के आधार व जमाबन्दी में बादाम बाई पत्नि रामनारायण दर्ज है प्रार्थी दस्तावेजो एवं प्रार्थी की पत्नि की जमाबन्दी एवं आधार कार्ड में प्रार्थी का सही नाम रामनारायण दर्ज है परन्तु प्रार्थी के खाते की जमाबन्दी में रामा दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम नावबपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी खाता संख्या 43 में किता 2 रकबा 1.5808 है0 भूमि रामा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पन्ना हिस्सा 1/7 जाति चमार दर्ज है जॉच करने पर ग्राम कुंदा अल्लापुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 28 की नकल में रामनारायण पुत्र पन्नालाल जाति चमार सा0 मोतीपुरा दर्ज है प्रार्थी के बारे में ग्राम वासियों से पुछताछ करने पर बताया कि रामनारायण का ही बोलता नाम रामा है रामा व रामनारायण अलग–अलग व्यक्ति नही होकर के एक ही व्यक्ति है ग्राम नवाबपुरा के नामान्तरण नम्बर 180 दिनांक 07.12.2001 का दर्ज करते समय मृतक पन्ना के स्थान पर वारिसान का नाम दर्ज करतें समय रामा का नाम हिस्सा 1/7 में दर्ज हो गया। उक्त नामान्तरण दर्ज करतें वक्त रामनारायण का बोलता नाम रामा दर्ज हो गया परन्तु रामा व रामनारायण एक ही व्यक्ति है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का सही नाम रामनारायण है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम नवाबपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 122 रकबा 1.5682 है0 एवं खसरा नम्बर 222 रकबा 0.0126 है0 में प्रार्थी का नाम रामा के स्थान पर रामनारायण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा